


न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ (राज.)

सुलखन सिंह बनाम भजनों आदि

प्रकरण का प्रकार 223 आरटीएक्ट

क्रमांक 135 सन 2024

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
30.07.2021	<p>पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। यह अपील सहायक कलक्टर टिब्बी के प्रकरण संख्या 124/2002 अनवान मु0 राजो बनाम दरबारासिंह आदि में पारित निर्णय दिनांक एवं 05.08.2002 प्राथमिक डिक्री दिनांक 05.08.02 व संशोधित प्राथमिक डिक्री दिनांक 8.10.2003 व अन्तिम डिक्री दिनांक 30.07.04 व संशोधित डिक्री दिनांक 19.10.04 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिनके द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत घोषणा एवं खाता विभाजन का वाद डिक्री किया गया है। अपील में उभयपक्ष ने दिनांक 05.11.2020 को राजीनामा पेश किया जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं उभयपक्ष ने राजीनामा अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया। अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड आया नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के प्रकरण संख्या 124/2002 अनवान मु0 राजो बनाम दरबारासिंह आदि में पारित निर्णय दिनांक एवं 05.08.2002 प्राथमिक डिक्री दिनांक 05.08.02 व संशोधित प्राथमिक डिक्री दिनांक 8.10.2003 व अन्तिम डिक्री दिनांक 30.07.04 व संशोधित डिक्री दिनांक 19.10.04 निरस्त किये जाते हैं एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि दिनांक 05.11.2020 को प्रस्तुत राजीनामा पर उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित करे। मूल राजीनामा अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;">                       30/7/21                      राजस्व अपील प्राधिकारी                      हनुमानगढ़                 </p>	

